राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 267/2011/चित्तौड़गढ़

मैसर्स कौशिक कन्सट्रक्शन एण्ड इलेक्ट्रिक सर्विसेज लिमिटेड,
चित्तौड़गढ़
.....अपीलार्थी

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग,
भीलवाड़ा
.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक
.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक
.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक :– 01.08.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा के आदेश दिनांक 21.10.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उपायुक्त द्वारा अपीलार्थी की वैट अधिनियम, 2003 की धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2009 को पारित किया गया था, जिसमें रुपये 11.39 लाख की डिमाण्ड सृजित की गई थी, जिसको रि–ओपन करने के लिये धारा 34 के तहत प्रथम बार प्रार्थना पत्र पेश करने पर उपायुक्त प्रशासन, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 09.10.2009 को इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री कृष्ण अग्रवाल को नोटिस तामिल करवाया गया था अतः इसे समुचित अवसर देना मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। उस आदेश दिनांक 09.10.2009 के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई परन्तु दिनांक 01.12.2009 को पुनः पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि दिनांक 09.10.2009 का आदेश त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उस आदेश में तामिल सम्बन्धी यह तथ्य अंकित किया था कि सुनवाई का नोटिस श्री किशन अग्रवाल को दिया था जबकि श्री किशन अग्रवाल उनके प्रतिनिधि नियुक्त नहीं थे अतः दिनांक 09.10.2009 के आदेश को संशोधित कराने का अनुरोध किया गया परन्तु उपायुक्त प्रशासन द्वारा दिनांक 21.10.2010 को पुनः केवल यह आदेश किया कि धारा 34 का निस्तारण पूर्व में दिनांक 09.10.2009 को किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. प्रकरण में वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2009 को एकपक्षीय पारित किया गया था, जिसके रि–ओपन करने को अस्वीकार करने के आदेश दिनांक 09.10.2009 में यह आधार लिया है कि व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री किशन अग्रवाल को नोटिस तामिल करवाया गया। जब अपीलार्थी को यह आदेश प्राप्त हुआ तब पुनः संशोधन हेतु पेश प्रार्थना पत्र में यह ध्यान में लाया गया कि श्री किशन अग्रवाल उनके अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं थे परन्तु उपायुक्त प्रशासन द्वारा बिना इस बिन्दू पर विचार किये केवल यह आदेश कर दिया गया कि उनके द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर पूर्व में दिनांक 09.10.2009 को आदेश किया हुआ है अनुचित एवं न्यायविरुद्ध है क्योंकि जब अपीलार्थी की ओर से यह परिज्ञान में लाया गया कि जिस आधार पर धारा 34 का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2009 को खारिज किया था वह त्रुटिपूर्ण था परन्तु इस मुख्य आधार पर विचार किये बिना ही संशोधन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन पर यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी व्यवसायी को कर निर्धारण के पूर्व कोई नोटिस तामिल नहीं करवाया गया था एवं न ही कोई नोटिस की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है तथा उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा जिस व्यक्ति पर नोटिस तामिल करना बताया है वह उनका अधिकृत प्रतिनिधि नहीं था ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2009 एवं धारा 34 के तहत पारित आदेश दिनांक 09.10.2009 को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये जाते है कि व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।

अपीलार्थी दिनांक **30.08.2017** को मय लेखा पुस्तकों के कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होवें।

निर्णय सुनाया गया।

11/8/17

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

11/8/2017

(के.एल.जैन)
सदस्य